


27 ¹⁰/₂₁

पञ्जाब) आदि प्रशासन शाखा के सहायक अधिकारी
 (व्यक्तिगत) से 2 (दो) वर्ष, अधिकतम
 प्राप्ति की वकालत की गई। तदनुसार
 अधिनियम से रिजर्व सिपायों को शामिल करना
 की शक्ति प्र. 45 प्रदान किया जाता
 है। निम्न पृष्ठों से लिखवाया जा सकता
 शामिल किया गया। पञ्जाब)
 केवल शुभाल क्षेत्र यारिजल दफ्तर
 होकर, अन्य से कम हो।



खण्ड अधिकारी
 दोसा (राज.)

